



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259761  
CG-DL-E-31122024-259761

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5213]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2024/पौष 9, 1946

No. 5213]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2024/PAUSHA 9, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5633(अ).—केंद्र सरकार को इस बात का समाधान है कि निमेसुलाइड युक्त औषधि फॉर्मूलेशन के उपयोग से पशुओं को खतरा होने की संभावना है।

और, उक्त औषधियों के सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं;

और, केंद्रीय सरकार को इस बात का समाधान है कि पशुओं के उपयोग के लिए निमेसुलाइड के सभी फॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है;

अब! इसलिए, केंद्रीय सरकार, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात, निम्नलिखित औषधि के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाती है, यथार्थ:-

“पशु उपयोग के लिए निमेसुलाइड और इसके फॉर्मूलेशन”

[फा. सं. X. 11035/100/2024-डीआरएस]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2024

**S.O. 5633(E).**—WHEREAS the Central Government is satisfied that the use of drug formulations containing Nimesulide are likely to involve risk to animals.

And, whereas, safer alternatives to the said drugs are available;

And, whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit the manufacture, sale and distribution of all formulations of Nimesulide for animal use;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, and after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, the Central Government, hereby prohibits the manufacture, sale and distribution of the drug, with immediate effect, namely:-

**“Nimesulide and its formulation for animal use”**

[F. No. X. 11035/100/2024-DRS]

RAJIV WADHAWAN, Adviser (Cost)